यूपी के बारे में बदली देश-दुनिया के निवेशकों की धारणा : महाना

औद्योगिक विकास मंत्री ने बताईं साढ़े चार साल की उपलब्धियां, कहा-बड़े पैमाने पर आ रहा निवेश

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि अब यूपी के बारे में देश-दुनिया के निवेशकों की धारणा बदल गई है। योगी सरकार बनने से पहले यहां कोई उद्यमी नहीं आना चाहता था। अब बड़े पैमाने पर निवेशक आ रहे हैं। आज प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे नेटवर्क है। व्यावसायिक व आवासीय सुविधाओं से लैस औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू का 43 प्रतिशत हिस्सा जमीन पर उतर चुका है।

महाना ने बुधवार को लोकभवन में अपने विभाग की साढ़े चार साल की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर में निवेशकों को सबसे सस्ती जमीन दे रहे हैं, जबकि विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में रेट से कई गुना ज्यादा कीमत भी मिल रही है। डिफेंस कॉरीडोर में 50 हजार करोड़ रुपये निवेश की संभावना है। इससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कई कंपनियों को जमीनें आवंटित की जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट में हुए निवेश प्रस्तावों में से 43 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 51923 करोड़ रुपये की निवेश वाली 218 परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। 37376 करोड़ की 130 परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं। वहीं 81334 करोड़ निवेश की 449 परियोजनाओं को सरकार ने जरूरी सहायता मुहैया करा दी है।

महाना ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में हीरानंदानी ग्रुप, सिंगापुर की एसटीटी ग्लोबल, व दक्षिण कोरिया की सैमक्वांग इलेक्ट्रॉनिक्स, नोएडा में अडाणी ग्रुप, बाराबंकी में ब्रिटानिया और आगरा में वॉन वेलेक्स को भूमि आवंटित कर दी गई है। सैमसंग इंडिया ने भारत को विश्व का तीसरा डिस्प्ले यूनिट निर्माता बना दिया है।

उत्तर प्रदेश में आज एक्सप्रेस-वे का भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क

व्यावसायिक-आवासीय सुविधाओं से लैस बनेंगे औद्योगिक क्लस्टर

इकाई स्थापित करने की शर्त का कड़ाई से कराया जा रहा पालन

भूखंड आवंटन के 5 साल के अंदर इकाई स्थापित करने की शर्त का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में 17 एकड़ क्षेत्रफल वाले 50 भूखंडों को निरस्त करके पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध कराया गया है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा और इससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन की तिथि से 15 दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक मोड में भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। यूपीसीडा की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव लाए हैं।

लोकभवन में बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अपने विभाग की साढ़े चार साल की उपलब्धियां गिनाईं। साथ में मौजूद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व अन्य। -अमर उजाला

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तैयार, पीएम से लोकार्पण के लिए मांगी तिथि

महाना ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री से लोकार्पण की तिथि मांगी गई है। जिस दिन यह कार्यक्रम मिल जाएगा, इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 93 प्रतिशत भूमि ले ली गई है। प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास के लिए प्रयागराज में 1141 एकड़ और आगरा में 1064 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 30 एकड़ भूमि पर परफ्यूम संग्रहालय के साथ परफ्यूम पार्क विकसित किया जा रहा है।

फिल्म सिटी के आरएफक्यू की दिशा में आगे बढ़े

महाना ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर फिल्म सिटी के लिए आरएफक्यू (रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन) की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बताया कि लखनऊ में ब्रह्मोस के लिए 21 हेक्टेयर जमीन दे दी गई है। यहां मिसाइल बनेगी।

पुराने आवंटियों को मिलेगा एक और साल का समय

लखनऊ। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से जमीन लेने वाले उद्यमियों को भूखंडों के उपयोग के लिए एक साल का और समय दिया जाएगा। यह सुविधा उन आवंटियों को मिलेगी, जिन्होंने उप्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू होने से पहले उद्योग लगाने के लिए भूखंड लिए थे। कोरोना संकट के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को रियायती दर पर विकसित प्लॉट मुहैया कराती है। शर्त यह होती है कि जिस औद्योगिक गतिविधि के लिए जमीन ली गई है, उस उद्यम को पांच साल के भीतर स्थापित कर लेना होगा। यह प्रावधान नई औद्योगिक नीति में किया गया है। 5 साल के भीतर उपयोग न करने पर आवंटन रद्द करने का नियम है।

कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने दी राहत

नीति के तहत 5 साल के भीतर भूखंड का उपयोग है अनिवार्य

प्रदेश के कमोबेश सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में काफी संख्या में ऐसे उद्यमी भी हैं, जिन्होंने यह नीति लागू होने से पहले औद्योगिक भूखंड लिए थे। लेकिन, कोरोना संकट समेत तमाम वजहों से अभी तक उद्यम स्थापित नहीं कर सके। 2020 में भी ऐसे उद्यमियों को एक साल का समय और दिया गया था।

प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि पुराने आवंटियों को एक साल का समय और देने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ताकि, अभी तक अपना उद्यम स्थापित न कर सकने वाले काम पूरा कर सकें। ब्यूरो